पर्यावरण संरक्षण हेतु स्वतन्त्रता के पश्चात सरकार द्वारा किये गये प्रयास

डॉ० मीरा ठाकुर
शक्ति नगर, चन्दौसी
ईमेलः meerathakur1981@yahoo.com

सारांश

हमारे चारों ओर पाये जाने वाला माहौल ही पर्यावरण कहलाता है, जो क्रियाशील तत्वों के संरचनात्मक तन्त्र से बनता है। जिसका समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि समाज में रहने वाला हर जीव का पर्यावरण के हर तत्व जैसे मष्दा, जल, वायु, ताप आदि से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। इसी प्रकार वनों का भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से घनिष्ठ सम्बन्ध है। लेकिन दिनों दिन बढ़ती जनसंख्या ने आजकल हर तरह से समस्यायें बड़ा दीं हैं और परिस्थितियाँ बिगड़ती ही जा रही है। मनुष्य कम समय में तीव्र विकास हेतु अवैज्ञानिक तथा अनियोजित ढंग से वनों की कटाई, खनन आदि कर रहें हैं तथा दिनों दिन प्रदूषण बड़ रहा है। मनुष्य यह नहीं जानता है कि इस कटाई खनन तथा प्रदूषण का मनुष्य के ऊपर ही घातक प्रभाव पड़ रहा है। आने वाले समय में हम देख रहे है कि आने वाली पीढ़ियों में शारीरिक व मानसिक विकलांगता अधिकतर पायी जा रही है, जिसका मुख्य कारण प्रदूषण है। प्रदूषण फैलने का मुख्य स्त्रोत नाना प्रकार के उद्योग धन्धे जैसे कागज, सीमेंट, कपड़े, स्टील, लोहा, रासायन, औषध आदि हैं, जिनसे क्षयकारी प्रदूषक ऐल्यूमीनियम, लोहा, पारे के कण आदि प्रदूषण फैलाने की शुरूआत करते है। इन प्रदूषक तत्वों से वायु, जल रेडियोधर्मी तथा अन्य हानिकारक प्रदूषण जन्म लेते हैं, जिनका प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर ही नही बल्कि वनों पर भी पड़ता है। इस तरह की विषम परिस्थिति को देखते हुये भारत सरकार ने स्वतन्त्रता के पश्चात नियम बनाये, जिसमें भारत की प्रकषति तथा जनता को प्रदूषण से बचाने और वनों को दोहन को बचाने के पूर्ण प्रयास किये। जिसके बनने से लगा कि स्वतन्त्रता के पश्चात बनायी गयी प्रदूषण की समस्या तो हल हुई, लेकिन वनों का बचना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि नीतियाँ तो बनी, लेकिन फिर भी वनों का दोहन थमने में नहीं आ रहा है।

मुख्य शब्द

पर्यावरण संरक्षण, सरकार द्वारा बनाया गया प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड तथा वन संरक्षण हेतु वन नीति।

प्रस्तावना

'परि' और 'आवरण' को मिलाने से पर्यावरण शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, जो परितः आवृत है। समस्त जीवधारियों के चारों ओर जो आवरण है, उसे पर्यावरण कहते है। अनेक वैज्ञानिकों ने इसे पारिस्थितिकी शब्द का भी नाम दिया। ''अर्नेस्ट हिकल''[1] के अनुसार ''पारिस्थितिकी

विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अन्तर्गत जीवों और उनके वातावरण के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है।''[2] ''यूजीन ओडम'' के अनुसार ''पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है।''[3] भारतीय पारिस्थितिकीविद ''प्रो० आर० मिश्रा'' के अनुसार ''समाज तथा मानव जाति के बीच का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है।''[4] पर्यावरण या

वातावरण या पारिस्थितिकी से हम पता कर सकते हैं कि पौधे, जन्तु तथा मानव कहाँ रहते है? क्यों रहते है? और किस प्रकार रहते है? इत्यादि ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर पारिस्थितिकी विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त होते है। पौधे तथा जन्तु सर्वदा अपने चारों ओर के वातावरण से प्रभावित रहते है, उनका समस्त जीवन वातावरण की अनुकूलनशीलता पर निर्भर करता है, और वातावरण पर स्थान तथा समय का बहुत प्रभाव पड़ता है।[5] वातावरण जैविक व भौतिक दोनों प्रकार का होता है इनमें आने वाले सभी कारकों का प्रभाव मष्दा, जल, वायु आदि पर मिलजुल कर पड़ता है।[6] इन सभी कारकों के शुद्ध होने पर ही हमारा पर्यावरण शुद्ध रह सकता है, और जीव जगत को नया जीवन मिल सकता है। इसके लिये में सोचती हूँ, कि सही रूप में जल, वायु, मिट्टी, वन आदि के विनाश पर नियन्त्रण करना ही पर्यावरण संरक्षण है।[7] ''जिम्मरमैन'' ने बताया कि ''वह कोई भी कार्य संरक्षण है, जिसके लिये उपयोग या समापन की वर्तमान दर को कम किया जाता है।''[8] प्रकृति का संरक्षण मानव समाज एवं वातावरण के बीच अनुकूलता बनाने के उद्देश्य से है जो कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य होते है।[9] वैज्ञानिकों ने जीवमंडल में जीवन यापन के लिये बहुत प्रयास किये है।[10] प्रकृति के संरक्षण का सर्वप्रथम एक जटिल लक्ष्य यह है कि समाज और प्रकृति के बीच सम्बन्धों को पहचाना जाये और हानिकारक परिणामों का निवारण किया जाये।[11] वास्तव में प्रकृति के संरक्षण का मुख्य लक्ष्य प्रकृति में अर्न्तक्षेप के कारण उत्पन्न क्षतिकारक परिघटनाओं को खोजना और उन्हें निष्प्रभावित या क्षीण करना है[12] और प्रकृति संरक्षण के हानिकारक तत्वों को मिटाने की कोशिश करना है।[13] बड़ती हुई विषम परिस्थितियों ने जिन्होंने उग्र रूप धारण किया है, उन्हें जाना और समझा जाये तथा उन पर विचार करके उनको मिटाया जाये। सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या बढ़ना है। जनसंख्या नामक छोटा सा शब्द एक उग्र समस्या को जन्म देता है, वह है नगरीय विस्तार।[14] जैसे–जैसे सारे देश में जनसंख्या बड़ रही हैं, वैसे–वैसे उसकी सुख सुविधायों के लिये नगरीय विस्तार के लिये वनों का कटान, बढ़ता औद्योगीकरण, खनन, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मनुष्य अपने स्वार्थ पूर्ती के लिये करता जा रहा है। जिससे दिनो दिन पर्यावरण प्रदूषण और परिस्थितिकीय असन्तुलन की समस्या उत्पन्न हो होती जा रही है। जिसका प्रभाव हमारे सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नही बल्कि दिमाक पर भी पड़ता है। जब हमारा दिमाक प्रदूषित वायु में विकास करेगा तो दिनों दिन हमारी सोच भी प्रदूषित होती जायेगी। प्रदूषण चाहे नगरीकरण के कारण हो या फिर औद्योगीकरण के कारण, हुआ तो प्रदूषण ही। आज हमारे देश में इतने उद्योग धन्धे विकसित हो गये है कि हम वेवाक यह नहीं कह सकते कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं।

इन सभी उपरोक्त समस्याओं का निवारण हेतु सरकार ने स्वतन्त्रता के पश्चात् पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास किये, जिनका विवरण इस प्रकार है। पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित अनेक कानून बनाये हैं जो स्वतन्त्र भारत के कारखाना संसोधन अधिनियम 1948, कीटनाशी अधिनियम

1968, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम–1972, वन्य जीव संवर्द्धन कानून–1947, जल प्रदूषण नियंत्रण, वायु प्रदूषण अधिनियम–1975, जल प्रदूषण कर कानून 1977, वायु प्रदूषण अधिनियम नियंत्रण कानून आदि हैं।[15] भारत सरकार ने 1972 में विज्ञान और प्रोद्योगिकी के अन्तर्गत एक उच्च स्तरीय सलाहाकार समिति के रूप में राष्ट्रीय पर्यावरण आयोजन व समन्वय समिति गठित की थी। बाद में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय पर्यावरण आयोजन समिति कर दिया गया। इसके कार्यों में विकास योजनाओं पर्यावरण पक्ष का मूल्यांकन आवास योजना नैसर्गिक पर्यावरण व्यवस्था का सर्वेक्षण और पर्यावरण के प्रति जाग्रति पैदा करना शामिल है। बाद में यह महसूस किया गया है कि पर्यावरण कार्यक्रमों को समन्वित रूप से अमल में लाने के लिये एक अकेली समिति से काम नही चलेगा, इसलिये देश में पर्यावरण रक्षा के काम को सुधारने तथा कानूनी और प्रशासकीय स्तरों को सुझाव देने के लिये फरवरी 1980 में एक समिति गठित की गई। श्री नारायण दत्त तिवारी उस समिति के अध्यक्ष थे, जिसे वाद में तिवारी कमेटी कहा गया। तिवारी कमेटी की सिफारिश पर नवम्बर 1980 में बने पर्यावरण विभाग ने अगस्त 1981 से प्रदूषण के विचार, प्रसार और नियंत्रण का काम अपने हाथों में ले लिया था। अब उस पर जन नियंत्रण कानून 1974 तथा नये वायु प्रदूषण कानून पर अमल करने का प्रशासकीय दायित्व भी आ गया है।[16] 1968 में कई कीट नाशक कानून बने और कई देशों में तो डी०डी०टी० पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। लेकिन फिर भी इन सीमाओं का उल्लंघन होता रहा और फिर बाद में 1982 में प्रदूषण रोधी कानून भंग करने के लिये उद्योगों के खिलाफ केवल 40 मामले विभिन्न अदालतों में उठाये गये हैं। ''ऐकेडमी ऑफ एनवायमेंटल ला कंजरवेशन एण्ड रिसर्च'' संसद को एक कानून प्रेरित करना चाहिये। देशभर के पर्यावरण प्रदूषण के सभी पहलुओं का समग्र विचार है कि इस विषय पर केन्द्र सूची में विशेष उल्लेख किया जाना चाहिये, ताकि कानून उपाय और उन पर सीधा अलग केन्द्र द्वारा किया जा सके क्योंकि कड़े और सुस्पष्ट कानून के अभाव में पर्यावरण विभाग के मुट्ठीभर लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि वे इस विशाल देश में जगह–जगह वन रही परियोजनाओं में हो रही पर्यावरण कानूनों की उपेक्षा को ठीक करा पायें।[17] अभी हाल में ही जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिये यथाशीघ्र कदम उठाने की अपील के साथ 7 दिसम्बर 2009 दिन सोमवार को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में शिखर सम्मेलन शुरू हो गया। ऐसा लगता है कि भारत सहित दुनिया के प्रमुख देशों द्वारा उत्सर्जन कटौती की जो घोषणा की गई है उसमें ग्लोबल वार्मिंग पर नियन्त्रण के लिये संधि का लक्ष्य दिखने लगा।[18] और इस महात्वाकांक्षी करार तक पहुँचने के लिये राजनीतिक प्रयास भी तेज हुये हैं, लेकिन विभिन्न देशों को इसके लिये और मेहनत करनी चाहिये। भारत, अमेरिका तथा चीन द्वारा उत्सर्जन कटौती की पिछले 17 साल में जलवायु परिवर्तन पर कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि जब एक साथ इतने ज्यादा देशों में उत्सर्जन कटौती की प्रतिद्वन्दता जताई हो। भारत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में कटौती के सिद्धान्त पर जोर दे रहा है, वजह साफ है कि भारत की आबादी ज्यादा है और वह प्रति व्यक्ति के उत्सर्जन में कटौती के सिद्धान्त से फायदे में रहेगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना की गयी जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाया जा रहा है :–

तलिका–1 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड[19]

क्रम सं०	प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड	तिथि	स्थान
1.	जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण	1975	उत्तर प्रदेश बोर्ड
2.	भारतीय पर्यावरण विभाग	1980	भारत
3.	भारतीय वन्य जीव बोर्ड	1952	भारत
4.	राष्ट्रीय पारिस्थितिकी बोर्ड	1981	भारत
5.	भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान	1981	देहरादून
6.	राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं परती भूमि विकास बोर्ड	1981	भारत
7.	केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय	1985	भारत
8.	राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं परती भूमि विकास बोर्ड	1985	भारत
9.	केन्द्रीय गंगा प्रधिकरण बोर्ड	1985	भारत
10.	प्रदूषण अथवा नियन्त्रण बोर्ड	13 जुलाई 1982	भारत
11.	भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण	1990	भारत
12.	वृहद राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	1995	भारत
13.	राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान्त्रिकी अनुसंधान (नीरी)	1990	भारत

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ–साथ वन नीति भी स्वतंत्रता के पश्चात् बनायी गयी, जो कि सरकार और जनता दोनों के लिये लाभदायक सिद्ध हुई।

तालिका– स्वतन्त्रता के पश्चात सरकार द्वारा बनाया गया वननीति [20]

(UNEP) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय समन्वित पर्वत विकास केन्द्र तथा दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय को नामित किया गया है।

1. 1954 में भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के वानस्पतिक संसाधनों का सर्वेक्षण समिति का गठन किया गया।

2. 1996 में PISFR की स्थापना FAO की सहायता से केन्द्र सरकार ने की।

3. 1987 में वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय में कच्छ में वनस्पति संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया।

4. 1988 में वनस्पति संरक्षण अधिनियम के अनुसार वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास था।

5. 2000 में नवम्बर में उत्तराखण्ड से वन नीति सरकार द्वारा बनाई गयी।

6. 2002 में सरकार ने वनों तथा वनों के अर्वेध कटान पर अंकुश लगाने के लिये प्रभावी योजना बनायी।

7. जून 2003 से 2004 में राजा जी नेशनल पार्क के अकेले धौलाखंड में 417 वृक्षों के अवैध कटान से सरकार से 109 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया तथा पार्कों से सिर पर लकड़ी लुड़कान तथा वनों की सुरक्षा के लिये योजनायें बनायी।

8. 2008–2012 में सरकार द्वारा वन नीति के अनुसार तय किया गया कि दी गयी सन में वनों के आंकड़े प्रयासरत करके बढ़ाये जाये।

स्वतन्त्रता के पश्चात बनायी गयी संरक्षण नीति व वन नीति व सरकार और जनता दोनों को लाभदायक रही, लेकिन वनों का दोहन थमा नहीं।

इस प्रकार हम कह सकते है पर्यावरण जिसका समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि समाज में रहने वाले हर जीव का पर्यावरण के हर तत्व जैसे मष्दा, जल, वायु, ताप आदि से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। इसी प्रकार वनों का भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। यदि हमारे वनों का दोहन होता है तो हमारा समाज नाना प्रकार के प्रदूषणों से प्रदूषित हो जाता है तथा हमारा पारिस्थितिक तन्त्र बिगड़ने लगता है। अतः इन सभी तत्वों को बचाने का प्रयास करना चाहिये, जिससे कि यह वातावरण जीव तथा जन्तुओं के रहने की अनुकूलता प्रदान कर सके। संरक्षण हेतु सभी पर्यावरण तत्वों को सुरक्षित बनाने के लिये इष्टतम् प्रयास किये गये हैं। लेकिन दिनों–दिन बढ़ती जनसंख्या ने आज–कल हर तरह से समस्यायें बढ़ा दी हैं जिससे परिस्थितियाँ विषम होती जा रही हैं। और मनुष्य के द्वारा अवैज्ञानिक तथा अनियोजित ढंग से वनों की कटाई, खनन, प्रदूषण फैलाने वाले मुख्य स्त्रोत वाले उद्योग धन्धे जैसे– कागज, सीमेंट, कपड़े, स्टील लोहा, रसायन, औषध आदि हैं, जिनसे क्षयकारी प्रदूषण जैसे– घरेलू वाहित मल, कपड़ा, कागज, कूड़ा–करकट, लकड़ी आदि तथा अक्षयकारी प्रदूषक ऐल्यूमिनियम, लोहा, पारे के कण प्रदूषण फैलाने की शुरूआत करते हैं। इन प्रदूषक तत्वों से प्रदूषण जन्म लेकर मनुष्य की शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर ही नही, बल्कि वनों पर भी इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इस हानि को देखते हुये सरकार ने स्वतन्त्रता के पश्चात पर्यावरण संरक्षण तथा वन संरक्षण हेतु नियम बनाये जो कि सरकार और जनता दोनों को लाभदायक सिद्ध तो हुए, लेकिन किसी हद तक वनों का दोहन फिर भी नही रूका और वनों का दिनों व दिन कटान बढ़ता ही जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण पर तो कहीं तक शिकंजा कस दिया गया लेकिन वन नीति वन संरक्षण करने में असफल रही।

सन्दर्भ

1. हिकल, अर्नेस्ट : जन एवं पर्यावरण, शिक्षण एवं शोध पृष्ठ सं०– 35
2. आर. मिश्रा : त्मयजगत नामक जन्तु, पारिस्थितिकी, 1968, पृष्ठ सं०– 8
3. पूर्वोक्त
4. पूर्वोक्त
5. पूर्वोक्त
6. कौशिक, डा० ए०पी० : पारिस्थितिक एवं पारिस्थितिकी तन्त्र, वातावरण माध्ययिकी वनस्पति विज्ञान पृ०–993

7. सिंह, प्रताप : प्राकृतिक संसाधन और उनका संरक्षण, पर्यावरण अमर उजाला, पृष्ठ–5
8. जिम्मर, मैन : प्राकृतिक संरक्षण जरूरी है। पर्यावरण क्रोनिकल पत्रिका पृष्ठ–27
9. अग्रवाल, मानसी : प्रकृति का संरक्षण लेख, पर्यावरण दैनिक जागरण, पृ० सं०–3
10. ठाकुर, अपूर्व : हमारा जैनमण्डल, पर्यावरण संरक्षण अमर उजाला, पृ०–6
11. कुमार, मनोज : पर्यावरण संरक्षण, अमर उजाला, पृ० सं०– 10 मुरादाबाद, 1–5–2008
12. सिंह, सुनीता : प्रकृति संरक्षण के लक्ष्य, पर्यावरण स्कूल पुस्तिका में लेख, चन्दौसी, मुरादाबाद, पृष्ठ–8, 2008
13. रानी, दुर्गा : संरक्षण शब्द की गूँज कानों में पहुँचाये वातावरण, विज्ञान प्रगति, पृ० 60, 2008
14. पाण्डेय, डा० देवेश : नगरीय मल–जल के शुद्धिकरण में शैवाल का उपयोग सम्पादक शुक्रदेव प्रसाद, पेज 183–186
15. शर्मा, श्यामसुन्दर : गर्ग, मृदुला कारण और निवारण जल प्रदूषण, पृ० 62–63
16. ग्रूव, रिचार्ड एच० : इकॉलोजी, क्लाइमेट एण्ड एम्पायर (1400–1940) हिस्ट्री–1
17. पूवोक्त
18. इन्वायरमेन्टल : इ यू नई इंडिया(1) हिन्दुस्तान टाइम्स 2009, पृ०–7
19. कौशिक, ऋतु : प्रदूषण और हम पर्यावरण पुस्तिका 2000, पृ०– 9
20. शर्मा, रोहित : पहाड़ और पेड, लेख, प्रदूषण पुस्तिका, पृ० 27–41